राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 30.04.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु तथा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे है। इस क्रम में विभागीय पत्र क्रमांक : एफ. 1008(101)/कोविड/2020/471 दिनांक 13.04.2020 एवं विभाग के समसंख्यक आदेश 14.04.2020 तथा आदेश क्रमांक : F(17)NHM/RCH/JSY/2020/1352 दिनांक 24.04.2020 के द्वारा राज्य के सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया था कि वे अपनी ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाऐं सुचारू रूप से संचालित करते हुए मरीजों को समस्त आवश्यक चिकित्सकीय सेवाऐं उपलब्ध करावें, जिससे आमजन को किसी परेशानी का सामना न करना पडे।

राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी चिकित्सालयों द्वारा उनके अस्पताल में उपचार हेतु आने वाले मरीजों के उपचार से इंकार कर उन्हें सरकारी अस्पतालों में रैफर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि AB-MGRSBY मे Empanelled अस्पतालों द्वारा NFSA एवं SECC श्रेणी के लाभार्थियों से अनावश्यक रूप से राशि वसूल की जा रही है, जो न केवल अनुचित अपितु अनैतिक भी है।

अतः राजस्थान एपीडेमिक डिजिजेज एक्ट, 1957 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश में स्थित सभी निजी चिकित्सालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाऐं सुचारू रूप से संचालित करते हुए अस्पताल में आने वाले मरीजों का समुचित उपचार करें व मरीजों को अनावश्यक रूप से सरकारी अस्पतालों में रैफर न करें। AB-MGRSBY मे Empanelled अस्पतालों द्वारा NFSA एवं SECC श्रेणी के लाभार्थियों से नियम विरूद्ध किसी प्रकार की अनावश्यक व अनियमित राशि वसूल न की जावे।

उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में ऐसे निजी चिकित्सालयों के विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 188 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। साथ ही यदि अस्पताल AB-MGRSBY में Empanelled है, तो उक्त अस्पताल को योजना से वर्तमान Phase में असंबंद्व कर दिया जाएगा एवं भविष्य मे पुनः योजना में Empanel नहीं किया जाएगा।

30/04/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग।
7. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज./प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
10. निजी /रक्षित पत्रावली

30.4.2020
(संजय कुमार)
शासन उप सचिव